राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–14 / 2024

कमलेश्वरी मेहता बनाम् रंजीत कुमार उर्फ रंजीत मण्डल

इस वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–22.10.2024 को हुई, जिसमें वादी श्री कमलेश्वरी मेहता स्वयं उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर उपस्थित रहे। इस वाद में जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों की सत्यापन एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय की तरफ से श्री सुनील कुमार, श्री शशांक कुमार एवं श्री दिनेश कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी,लखीसराय भिन्न–भिन्न तिथियों को उपस्थित रहें।

वादी श्री कमलेश्वरी मेहता भूतपूर्व वायु सैनिक द्वारा आयोग को बताया गया कि महेशपुर पंचायत, जो कि सूर्यगढ़ा प्रखण्ड लखीसराय अन्तर्गत है, मुखिया पद के लिये उप चुनाव मई, 2023 में हुआ था। इस चुनाव में प्रतिवादी श्री रंजीत कुमार उर्फ रंजीत मण्डल विजयी रहे। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री रंजीत मण्डल द्वारा अपने नाम–निर्देशन पत्र में सूचनाओं को विशेष कर आपराधिक मुकदमों को छिपाया गया तथा इस बाबत उनके द्वारा गलत शपथ–पत्र भी समर्पित किया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा रंजीत कुमार के विरूद्ध संस्थित वाद संख्या–577C / 2013, न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय में दर्ज वादी की सत्यापित प्रति का अवलोकन कराया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध संज्ञान लिया गया है तथा दिनांक–23.04.2022 को Bailable Warrant निर्गत किया गया है। जब उक्त Warrant का निष्पादन नहीं हुआ, तो दिनांक–01.12.2023 को Non-bailable Warrant निर्गत किया गया। इस प्रकार नामांकन की तिथि–09.05.2023 के पूर्व सक्षम न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध भा0द0वि0 के धारा–323, 379, 506 तथा 34 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया था।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के विरूद्ध थाना पीरीबाजार में प्राथमिकी संख्या–10 / 2016 भी दर्ज है। उक्त थाना काण्ड में धारा–420 / 406 के तहत मामला दर्ज है। उक्त धारायें Non-bailable हैं, जिसपर अनुसंधान जारी है तथा यह वाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय, श्रीमती महजबी नाज के न्यायालय में चल रहा है।

इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा मतदाताओं को धोखा देने के उद्देश्य से नामांकन–पत्र में तथ्यों को अंकित नहीं किया गया तथा शपथ–पत्र में गलत सूचनायें अंकित की गयी।

प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध दो वादों, प्रथम अपराधिक मुकदमा संख्या–577C / 2013, U/S 323, 379, 506 / 34 Of IPC तथा द्वितीय पीरीबाजार थाना काण्ड संख्या–10 / 2016 U/S 420 / 406 Of IPC, वादों के विवरण को छिपाने का आरोप लगाया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Complaint Case No. 577C/2013 में वाद दायर होने के 05 वर्ष

उपरांत दिनांक–21.08.2018 को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा दिनांक–02.02.2019 को सम्मन जारी किया गया, परन्तु उनको इस वाद से संबंधित सम्मन का तामिला कभी नहीं हुआ। उनके द्वारा आयोग को अपने दावें के समर्थन में दिनांक–04.02.2021 तक के न्यायालय के कार्रवाई का सत्यापित प्रतिवेदन की छायाप्रति का अवलोकन कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल को न तो Bailable Warrant और न ही Non-bailable Warrant दिनांक–25.01.2024 तक Serve किया गया है। इस प्रकार उन्हें न्यायालय द्वारा Complaint Case No. 577C/2013 में लिये गये, संज्ञान का कोई विधिवत् सूचना यथा–सम्मन, Bailable Warrant या Non-bailable Warrant प्राप्त नहीं रहने के कारण वह नामांकन–पत्र में उक्त वाद के विवरण को अंकित नहीं कर सके।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि थाना पीरीबाजार में प्राथमिक संख्या–10/2016 में 16 नामजद अभ्युक्तों में केवल 04 अभ्युक्त प्रभु कुमार यादव, रजनीश कुमार, सुधीर साव एवं अशोक कुमार के विरूद्ध ही संज्ञान लिया गया था। शेष 12 अभ्युक्तों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय द्वारा Exonerate कर दिया गया था। इस प्रकार उनके मुवक्किल के विरूद्ध उक्त थाना काण्ड संख्या में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध थाना पीरीबाजार में प्राथमिक संख्या–51/2016 में दिनांक–31.08.2016 को पुलिस द्वारा Final Form No.85/2016 दायर किया गया है, जिससे उद्भूत G.R. No. 881/2016 में राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से दिनांक–09.03.2024 को सुलह हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि कृष्णमूर्ती बनाम् शिवकुमार वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं श्री बी0जी. उदय बनाम् एच0जी0 प्रशान्थ मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक द्वारा स्थापित किया गया है कि:–

"Every criminal case launched against a candidate either by way of registering the FIR or by moving the private complaint, need, not to be disclosed in affidavit even when charge have not been framed or cognizance of the offences alleged has not been taken, as the case may be." अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि स्पष्ट है कि उक्त दोनों थाना काण्ड में उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है तथा प्रथम वाद Complaint Case No. 577C/2013 में न्यायालय के संज्ञान लेने के बावजूद उनकों इसकी विधिवत् सूचना न्यायालय की तरफ से अबतक प्राप्त नहीं हुई है। अतः उनके मुवक्किल द्वारा नामांकन–पत्र में किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

आयोग द्वारा वादी, प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, अभिलेखों के अलावा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के संगत प्रावधानों, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार निर्गत नामांकन–प्रपत्र का गहन परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त तथ्य छुपाने (आपराधिक इतिहास) से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के "सिविल अपील"

नम्बर–1478/2015, कृष्ण मूर्ति बनाम् शिव कुमार एवं अन्य मामले में पारित न्याय–निर्णय से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया गया, जिसका सार निम्नवत् है:–

"आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(क)(1)(ii) के तहत लंबित प्रकरण में आरोप तैयार होने के उपरांत या सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरांत ही नामांकन–पत्र में लंबित प्रकरण की सूचना अंकित करनी है। चूँकि Complaint Case No. 577C/2013 में दिनांक–21.08.2018 को सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था तथा प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया था, तो उन्हें हर हाल में नामांकन–पत्र में उक्त वाद का विवरण अंकित करना था।

प्रतिवादी का यह तर्क है कि उन्हें न तो सम्मन का तामिला हुआ और न ही उन्हें Bailable Warrant या Non-bailable Warrant प्राप्त हुआ। इस कारण से उन्होंने इस वाद का उल्लेख अपने नामांकन–पत्र में नहीं किया, स्वीकार योग्य नहीं है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कृष्णमूर्ती वाद में दिये गये, न्याय–निर्णय के माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयास, के विरूद्ध अत्यन्त ही विचारणीय एवं संवेदनशील मुद्दा है। यह स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के मिली–भगत से कानूनी प्रावधानों को निष्फल किये जाने का ज्वलंत उदाहरण है। न्यायालय के द्वारा निर्गत Bailable Warrant या Non-bailable Warrant का अनुपालन स्थानीय थाना को करना रहता है। ठीक इसी प्रकार ऐसी व्यक्ति जिनके विरूद्ध Warrant निर्गत हो, उन्हें जमानत प्राप्त कर अथवा सक्षम न्यायालय/थाना में Surrender के उपरांत नामांकन–पत्र भरने का प्रावधान है। इस बाबत सभी थाना प्रभारी को ऐसे लोगों की सूची निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करानी होती है। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी द्वारा दिनांक–09.05.2023 को नामांकन–पत्र दाखिल किया गया है, जबकि उनके विरूद्ध Bailable Warrant दिनांक–23.04.2022 निर्गत था, जो कि नामांकन के पूर्व की तिथि है। यह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी एवं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं किया गया है। प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें सम्मन का तामिला नहीं हुआ है, अथवा उन्हें Bailable Warrant या Non-bailable Warrant प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामांकन–पत्र में इसका उल्लेख करने हेतु बाध्य नहीं है, क्योंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125 के प्रावधान केवल सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने अथवा आरोप गठित किये जाने तक सीमित है। उक्त अधिनियम में सम्मन अथवा Warrant के तामिला होने अथवा न होने के संबंध में कोई प्रावधान अंकित नहीं है। प्रतिवादी का दावा Criminal Jurisprudence में भले ही महत्व रखता है, परन्तु यहाँ वाद का निष्पादन बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "सिविल अपील" नम्बर–1478/2015, कृष्ण मूर्ति बनाम् शिव कुमार एवं अन्य मामले में पारित न्याय–निर्णय से मार्ग–दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जो निम्नवत् है:–

"86. In view of the above we would like sum up our conclusion:-

(a) Disclosure of criminal Antecedents a candidate, especially, pertaining to heinous or serious offence or offences relating to corruption or moral turpitude at the time of filling of nomination paper as mandated by law is a categorical imperative.

(b) When there is non-disclosure of the offences pertaining to the areas mentioned in the preceding clause, it creates an impediment in the free exercise of electoral right.

(c) Concealment or suppression of this nature deprives the voters to make an informed and advised choice as a consequence of which if would come within the compartment of direct or indirect interference or attempt to interfere with the free exercise of the right to vote by the electorate, on the part of the candidate.

(d) As the candidate has the special knowledge of the pending cases where cognizance has been taken or charges have been framed and there is a non-

Disclosure on his part, it would amount to undue influence and, therefore, the election is to be declared null and void by the Election Tribunal under Section 100(1)(b) of the 1951 Act.

(e) The question whether if materially affects the election or not will not arise in a case of this nature."

उक्त न्याय–निर्णय के कंडिका–(d) से स्पष्ट है कि F.I.R. के उपरांत यदि सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, अथवा आरोपों का गठन कर दिया गया है, तो ही ऐसे मामलों को प्रकट नहीं करने पर अयोग्यता का मामला बनता है। इस प्रकार के मामले में, जहाँ अयोग्यता का निर्धारण करना हो, बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–137 के तहत संबंधित मुंशिफ न्यायालय ही आदेश पारित कर सकता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(क)(1)(ii) में भी इसी प्रकार के प्रावधान अंकित है, परन्तु ऐसे मामलों में उक्त अधिनियम की धारा–125(3)(ग) में शास्ति का प्रावधान है।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरूद्ध Complaint Case No. 577C/2013 में सक्षम न्यायालय द्वारा उनके नामांकन के पूर्व दिनांक–21.08.2018 को संज्ञान लिया गया था, जिसकी स्वीकारोक्ति स्वयं उनके द्वारा अपने लिखित जवाब के पारा–05 में दिया गया हैं। स्पष्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006(यथासंशोधित) की धारा–125–क(1)(ii) का उल्लंघन है। अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी श्री रंजीत कुमार उर्फ रंजीत मण्डल के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–125(3)(ग) के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Warranty अभ्यर्थियों के नामांकन–पत्र को स्वीकृत करने के संबंध में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी, प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत होते है। इस संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये कि क्या थाना प्रभारी द्वारा फरार व्यक्तियों की सूची निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी, अथवा नहीं। यदि सूची उपलब्ध करायी गयी थी, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किस परिस्थिति में प्रतिवादी का बिना आत्मसमर्पण के नामांकन–पत्र को स्वीकार किया गया था।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
23.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
23.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–14/2024/2851 पटना, दिनांक–23/06/25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

23/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–14/2024/2851 पटना, दिनांक–23/06/25

प्रतिलिपि–श्री कमलेश्वरी मेहता, पूर्व वायु सैनिक, ग्राम–महेशपुर, पंचायत–महेशपुर, पोस्ट+थाना–पीरीबाजार, जिला–लखीसराय तथा श्री रंजीत कुमार उर्फ रंजीत मण्डल, पिता–स्व0–अधिक महतो, ग्राम–गरी विशनपुर पंचायत राज महेशपुर, पोस्ट+थाना–पीरीबाजार, जिला–लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

23/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–14/2024/2851 पटना, दिनांक–23/06/25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी